15.6.19 पत्रावली ... आवश्यक ... 16.8.19 ... को पेश हो।

16.8.19 पत्रावली पेश हुई, वकलाय फरिकेन उपस्थित, T.D.R मांडल से विभाजन स्कीम अभी तक प्राप्त नहीं हुई, अतः T.D.R मांडल को विभाजन स्कीम हेतु लिखा जावे। वास्ते विभाजन स्कीम हेतु पत्रावली दिनांक 16.10.18 को पेश हो।

16.10.18 [illegible] ... 20.11.18 ... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20.11.18 ... पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर ... अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 12.2.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल

12.3.19 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 19.3.19 को पेश हो।

19.3.19 पत्रावली पेश हुई, वकलाय फरिकेन उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से विभाजन स्कीम तैयार होकर प्राप्त हुई जिसे शामील पत्रावली की गई। प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ चाही गयी।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्राप्त विभाजन स्कीम पर मनन किया। न्यायहित मे प्राप्त विभाजनस्कीम के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 12 के इस आशय की जारी की जाती है। कि ग्राम –

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

[illegible]

① गोपाल, कालू, मुकेश, नन्दू पिता ... [illegible] ... बदस्तूर –

आराजी नम्बर	रकबा
395/1	0.02
398	0.12
609	2.05
610	0.04
613	1.02
614	0.04
1307	0.06
1662/1	0.11
कुल किता 08 रकबा	5.06 बीघा

② कालू, रामलाल, प्यारी पिता मोती बलाई सा. देह खातेदार –

आराजी नं.	रकबा
398/1	0.03
399	0.12
610/1	1.10
611	0.19
614/2	0.01
615	1.05
1307/1	0.06
1661/1	0.07
1662	0.04
कुल किता 09 रकबा	5.07 बीघा

प्रतिहस्ताक्षरित

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

(3) मोहन, छगना पिता लाला 2/3 रतना पिता नाथू बलाई, अवाई पत्नी नाथू 1/3 बलाई सा. देह खातेदार -

आराजी नं.	रकबा
395	0.15
611/1	1.05
612	1.04
614/1	1.06
1307/2	0.05
1660	0.07
1661	0.04

कुल किता 07 रकबा 5.06 बीघा (तैयरहन बदस्तुर रहेगा)

(4) निम्नलिखित आराजियात शामील रहेगी।

आराजी सं.	रकबा
606	0.04
608	0.01

कुल किता 02 रकबा 0.05 बिस्वा

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 से 12 के नाम हिस्से, व कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा